

केंद्रीय सूचना आयोग
बाबा गंग नाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली - 110 067

CIC/AA/A/2020/4

CICOM/A/P/20/00001

CICOM/R/2019/00801

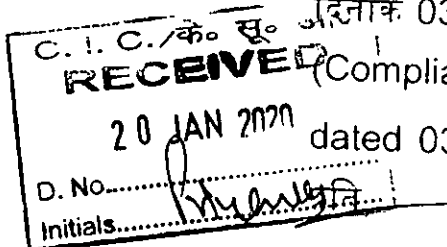
अपीलकर्ता का नाम: श्री कृष्ण गोपाल
राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय,
अजमेर, राजस्थान - 305 002

1.	आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	28.10.2019
2.	आर.टी.आई. आवेदन के जवाब की तिथि	29.11.2019
4.	केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, जिन्होंने जवाब दिया	श्री किशोर कुमार पुखराल, विधि स्कंध
3.	प्रथम अपील की तिथि	23.12.2019
5.	निर्णय की तिथि	

प्रथम अपील से सम्बंधित संक्षिप्त तथ्य:-

1. अपीलकर्ता ने अपने आर.टी.आई. आवेदन में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के क्रम में विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों का मन्दर्भ प्रस्तुत करते हुए, सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के मन्दर्भ में एक स्वयं का निष्कर्ष प्रस्तुत किया है तथा 8 बिन्दुओं के अंतर्गत निम्नलिखित सूचना की मांग की है:

1. केरल उच्च न्यायालय द्वारा "RTI Act, 2005 - Section 21" पर प्रदत्त निर्णय दिनांक 03.08.2015 की पालना सुनिश्चित करने हेतु जारी लिखित आदेश (Compliance of Order of HC Kerala in WP No. 13528/2015 dated 03-08-2015 on Section 21, PARA No. 14) की प्रमाणित



2. केरल उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.06.2019 पैरा 5 (WP No. 11202/2019 – Disposal of RTI application u/s 7) की पालना (Compliance of HC Kerala Decision dated 25.06.2019) सुनिश्चित करने के लिए जारी लिखित आदेश की प्रमाणित प्रति,
3. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के निर्णय दिनांक 17.12.2018 (WP No. 13231/2017) पैरा सं. 4 (Use of RTI application by a Government Servant cannot put question mark on his integrity) की पालना (Compliance of HC order) के क्रम में आज दिनांक तक जारी लिखित आदेश की प्रमाणित प्रति,
4. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के निर्णय दिनांक 05.10.2018 (WP No. 12016/2016) पैरा सं. 13 (In case of any inconsistency between the provisions of RTI Act and other Act/Law, the RTI Act shall prevail. Application preferred under RTI Act shall be dealt with under the provisions of RTI Act) की पालना के क्रम में जारी लिखित आदेश (Compliance order) की प्रमाणित प्रति,
5. दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.08.2011 (WP No. 7232/2009, J. P. Vs., Union of India PIO is responsible for Disposal of applications within the requirements of RTI Act, 2005) पैरा सं. 7 एवं 8 की पालना (Compliance order) के क्रम में जारी लिखित आदेश की प्रमाणित प्रति,
6. अनुच्छेद 2'g' तथा 27 के अंतर्गत उपयुक्त सरकार (Prescribed Rules made under the Act by the appropriate government) द्वारा निर्मित वैधानिक नियम (Statutory Rules u/s 27 of RTI Act) को नहीं मानकर, मनमाना आचरण करने वाले लोक सूचना अधिकारियों को दण्डित करने के लिखित (Punishment Provision for PIOs violating the prescribed rules of appropriate Govt. under section 27) निर्देश की प्रमाणित प्रति,

7. अनुच्छेद 19(7) के अंतर्गत सूचना आयोगों के निर्णयों कि बाध्यकारी परंपरा (Binding precedent of Decisions of 'SIC/CIC' under section 19(7) of RTI Act) का अतिक्रमण एवं उपेक्षा करने वाले लोक सूचना अधिकारियों को दण्डित (Provision of punishment for PIOs ignoring and violating binding decisions of SIC/CIC) करने के लिखित प्रावधान एवं निर्देश की प्रमाणित प्रति,
8. आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर जारी उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की पालना का उत्तरदायित्व रखने वाले सरकारी विभाग एवं मंत्रालय का नाम एवं लोकेशन सहित पूर्ण विवरण (Complete details of the Ministry and department accountable for compliance of judgments of HC & Supreme Court on RTI Act, 2005) पर प्रमाणित प्रति

सी.पी.आई.ओ. का जवाब :-

2. उपरोक्त आर.टी.आई. आवेदन के जवाब में सी.पी.आई.ओ. श्री किशोर कुमार पुखराल, विधि स्कंध ने प्रार्थी को बिन्दुवार जवाब प्रेषित की, जो निम्नलिखित है:

Query	Reply/ Information
Point No. 1 to 4	No record for the information is available.
Point No. 5	No direction has been given to Central Information Commission in para 7 and 8.
Point No. 6 to 8	No record for the information is available.

प्रथम अपील का आधार:-

3. केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, श्री किशोर कुमार पुखराल, विधि स्कंध के जवाब से व्यथित होकर प्रार्थी ने प्रथम अपील दाखिल की, जो निम्नलिखित है:

“सी.पी.आई.ओ. लीगल मेल के जवाब पत्र दिनांक 29.11.2019 के अंतर्गत “अस्पष्ट”, “भ्रामक” तथा “अपारदर्शी” दृष्टिकोण नजर आता है। सी.पी.आई.ओ. ने सूचना आपूर्ति में उदासीन मनोवृत्ति का परिचय दिया है।”

प्रथम अपील पर सी.पी.आई.ओ. की टिपण्णी:

4. प्रथम अपील के निस्तारण के लिए सी.पी.आई.ओ. से प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा लिखित टिपण्णी की मांग की गई। अपनी टिपण्णी में श्री किशोर कुमार पुखराल, विधि स्कंध ने यह उल्लेख किया है कि, "The observation of the applicant is general in nature and CPIO cannot comments/ interpret on it, except dissemination of information. The reply of RTI application has already been provided."

अपील की सुनवाई :-

5. प्रस्तुत प्रथम अपील की सुनवाई दिनांक 20.01.2020 को पूर्वाह्न 10.45 बजे निर्धारित की गई और इस सन्दर्भ में दिनांक 06.01.2020 को दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुए और न ही उन्होंने अपना कोई टेलीफोन नम्बर ही दिया है। केंद्रीय जन सूचना अधिकारी श्री किशोर कुमार पुखराल, विधि स्कंध भी सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं थे।

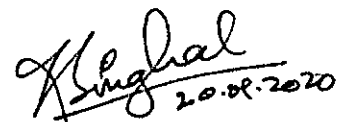
निर्णय:-

6. प्रथम अपील प्रपत्र, आर.टी.आई. आवेदन और सी.पी.आई.ओ. के जवाब का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि सी.पी.आई.ओ. द्वारा दिया गया जवाब तथ्यात्मक है और आर.टी.आई. अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है। अतः प्रथम अपीलीय अधिकारी की तरफ से प्रस्तुत मामले में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत अपील निस्तारित की जाती है।

8. यदि अपीलकर्ता निर्णय से असंतुष्ट हैं और चाहते हैं, वो केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110 067 के समक्ष इस निर्णय के विरुद्ध 90 दिनों के अन्दर द्वितीय अपील दाखिल करने के लिए स्वतंत्र हैं।

दिनांक: जनवरी 20, 2020.



(वाई. के. सिंघल)

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष: 26162290

प्रतिलिपि :-

- ✓ 1. सी.पी.आई.ओ., आर.टी.आई. सेल, सी.आई.सी., नई दिल्ली।
- ✓ 2. श्री किशोर कुमार पुख्राल, सी.पी.आई.ओ., विधि स्कंध, सी.आई.सी., नई दिल्ली।

20/01/20

Presup
20-01-20